2014 का विधेयक संख्यांक 5

[दि एक्विजीशन आफ सरटेन एरिया इन मुम्बई फार डॉ भीमराव अम्बेडर मेमोरियल बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

डॉ भीमराव अम्बेडकर स्मारक के लिए मुम्बई में कतिपय क्षेत्र का अर्जन विधेयक, 2014

डॉ भीमराव अम्बेडकर स्मारक के सन्निर्माण को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड से संबद्ध मुम्बई में के कतिपय क्षेत्र का अर्जन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

1974 का 57

महाराष्ट्र राज्य में, मुम्बई में, इंडिया यूनाइटेड मिल्सं सं0 6 से संबद्ध भूमि, जो इस समय रुग्ण उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के आधार पर राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड में निहित है, डॉ भीमराव अम्बेडकर के जीवन और उपलब्धियों के स्मरणोत्सव के लिए एक स्मारक का सन्निर्माण करने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराने की बहुत लम्बे समय से मांग की जा रही है ;

उक्त भूमि पर स्थित कपड़ा उपक्रम इस समय बंद पड़ा है और यदि यह भूमि नागरिकों और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को, जिनकी समुन्नति का डॉ भीमराव अम्बेडकर सदैव ही लक्ष्य रहा था, अनुप्राणित और अभिप्रेरित करने के लिए तथा संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और अनुच्छेद 46 के समादेश के अग्रसरण में एक स्मारक के सन्निर्माण हेतु उपलब्ध करा दी जाती है तो उससे समाज के दुर्बल वर्गों की महत्वकांक्षी चेतनता को अनुप्राणित करके उस समुदय के समान हित को और डॉ भीमराव अम्बेडकर के जीवन संघर्ष के स्मारणओत्सव के स्थान तक उनकी पहुंच को सुकर बनाया जा सकेगा ;

यदि महाराष्ट्र राज्य को यह भूमि उपलब्ध करा दी जाती है तो उसने भी ऐसे स्मारक के सन्निर्माण का वचन दिया है ।

पूर्वोक्त उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से राष्ट्रीय कपड़ा उपक्रम लिमिटेड से उक्त भूमि का अर्जन करना तथा ऐसे किसी स्मारक के किसी विधिक बाधा या अड़चन से मुक्त सन्निर्माण करने के प्रयोजनों के लिए उसके उपयोग को सुकर बनाना आवश्यक है ।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डॉ भीमराव अम्बेडकर स्मारक के लिए मुम्बई में कतिपय क्षेत्र का अर्जन अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह 1 जनवरी, 1992 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "क्षेत्र" से इंडिया यूनाइटेड मिल्स संख्यांक 6, वीर सावरकर मार्ग, मुंबई में अवस्थित ऐसा क्षेत्र जैसा अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, अभिप्रेत है, जिसमें सभी भवन, सन्निर्मितियां या उसमें समाविष्ट अन्य संपत्तियां सम्मिलित हैं ;

(ख) "प्रबंध" से साधारण प्रबंध, अनुरक्षण, पर्ववेक्षण, रखरखाव, मरम्मत, संपत्ति की अभिवृद्धि और उससे संबंधित अन्य मामले अभिप्रेत है ;

(ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

मुम्बई में इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं0 6 के क्षेत्र का अर्जन

कतिपय क्षेत्र की बाबत अधिकारों का अर्जन ।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 या रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 या रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों, स्कीमों, अधिसूचनाओं अथवा इस अधिनियम के प्रारंभ से ही किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस क्षेत्र के संबंध में अधिकार, हक और हित, इस अधिनियम के आधार पर, केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे । 1956 का 1 1974 का 57 1986 का 1

निहित होने का साधारण प्रभाव ।

4. (1) उस क्षेत्र के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं--

(i) सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा सभी स्थावर और जंगम संपत्तियां, जिनके अन्तर्गत भूमि, भवन, सन्निर्मितियां, दुकानें, चाहे वे किसी भी प्रकृति की हों, भी हैं या अन्य संपत्तियां और ऐसी संपत्तियों में या उनसे उद्भूत होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित ; और

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट संपत्तियों से संबंधित सभी रजिस्टर, नक्शे, रेखांक, रेखाचित्र और अन्य दस्तावेज, चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों, जो इस अधिनियम के ठीक पूर्व राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थे ।

(2) किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की किसी कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश और विशिष्टतया ऐसी किसी स्कीम के होते हुए भी, जो किसी प्राधिकारी, न्यायालय या अधिकरण द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट संपत्तियों के, उनसे संबंधित अधिकार, हक और हित के, जो केन्द्रीय सरकार को अन्तरित या उसमें निहित किया गया है, उपयोग को निर्बंधित करते हुए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार अनुमोदित कर दी गई हो, ऐसे अन्तरण और निहित किए जाने के 1986 का 1

आधार पर ऐसी संपत्तियां उनको प्रभावित करने वाले किसी न्यास, बाध्यता, बंधक, भार, धारणाधिकार और अन्य सभी विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएगी ।

(3) यदि, इस अधिनियम के प्रारंभ पर, उस संपत्ति से संबंधित अधिकार, हक या हित की बाबत, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है, कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित है तो उसका उपशमन हो जाएगा ।

क्षेत्र के प्रबंधन के भारसाधक व्यक्ति का सभी आस्तियां आदि, प्रदत्त करने का कर्तव्य ।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, उस क्षेत्र का, जो धारा 3 के अधीन उस सरकार में निहित किया गया है, कब्जा प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकेगी ।

(2) उस क्षेत्र को, धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित किए जाने पर, ऐसे निहित किए जाने के ठीक पूर्व उस क्षेत्र के प्रबंधन का भारसाधक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार को या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सभी आस्तियां, ऐसे निहित किए जाने से संबंधित, उसकी अभिरक्षा में के, रजिस्टर और दस्तावेज और जहां ऐसे रजिस्टर या दस्तावेज परिदत्त करना साध्य नहीं है वहां ऐसे रजिस्टरों या दस्तावेजों की, विहित रीति में, अधिप्रमाणित प्रतियां परिदत्त करने के लिए आबद्धकर होगा ।

अध्याय 3

संपत्ति का प्रबंधन और प्रशासन

डा. भीमराव अम्बेडकर स्मारक का सन्निर्माण और प्रबंधन ।

6. (1) किसी संविदा या लिखत अथवा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के आदेश में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ से ही, धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित की गई संपत्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य को या ऐसे किसी न्यास या सोसाइटी को, जो महाराष्ट्र राज्य द्वारा डा. भीमराव अम्बेडकर स्मारक के सन्निर्माण और प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए गठित की जाए, अन्तरित की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण--शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपधारा के अधीन अन्तरण अनन्य रूप से उक्त स्मारक के सन्निर्माण और प्रबंध के प्रयोजनार्थ होगा, जबकि ऐसे अन्तरण के पश्चात् स्वामित्व केन्द्रीय सरकार में ही निहित बना रहेगा ।

(2) उपधारा (1) में अनुध्यात अन्तरण की लिखत निन्यानवें वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए होगा, जिसे ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए बढ़ाया जा सकेगा, जो केन्द्रीय सरकार और ऐसे अन्तरिती के बीच ऐसे विस्तारण के समय परस्पर करार पाई जाएं ।

(3) उपधारा (1) में अनुध्यात अन्तरण की लिखत में इस आशय का अनुबंध अन्तर्विष्ट होगा कि भूमि का उपयोग अनन्य रूप से डा. भीमराव अम्वेडकर स्मारक के सन्निर्माण और प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा ।

(4) अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगे जो केन्द्रीय सरकार और ऐसे अन्तरिती के बीच परस्पर करार पाई जाए ।

(5) इसके प्रतिकूल कोई लिखित करार न होने की दशा में, उपधारा (2) के अधीन लिखत में नियत अवधि की समाप्ति पर संपत्ति स्वतः ही केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्तित हो जाएगी और कोई भी न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकारी ऐसे प्रतिवर्तन या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे वापस लेने का निषेध करने या रोक लगाने या निवारण करने के लिए कोई वाद या विधिक कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

रकम का संदाय ।

7. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड को उस क्षेत्र का उस सरकार को धारा 3 के अधीन अन्तरण तथा उसके संबंध में अधिकार, हक और हित के निहित किए जाने के लिए केवल पैंतालीस करोड़, उनहत्तर लाख और बारह हजार रुपए की

रकम का नकद संदाय किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा संदत्त प्रतिकर रकम का उपयोग राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड द्वारा रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 की धारा 11क में वर्णित प्रयोजनों के लिए तथा राष्ट्रीय कपड़ा लिमिटेड के कर्मकारों और लेनदारों को शोध्य रकमों का संदाय करने के लिए किया जाएगा । 1974 का 57

अधिनियम का सभी अन्य अधिनियमितियों पर अध्यारोही होना ।

8. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की किसी डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

शास्तियां ।

9. ऐसा कोई व्यक्ति, जो उस क्षेत्र के प्रबंधन का भारसाधक है, केन्द्रीय सरकार को या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को कोई आस्ति या, यथास्थिति, उस क्षेत्र से संबंधित अपनी अभिरक्षा में के रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या ऐसे रजिस्टर या दस्तावेज की अधिप्रमाणित प्रतियां परिदत्त करने में असफल रहेगा, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

10. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड या इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या उन सरकारों या राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड के किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध नहीं होगी ।

राज्य की नीति के बारे में घोषणा ।

11. यह घोषित किया जाता है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने के मद्दे राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिए है ।

स्पष्टीकरण--इस धारा में "राज्य" का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 12 में है ।

अधिनियम के उद्देश्य के कार्यान्वित करने का कर्तव्य ।

12. प्रत्येक प्राधिकारी का इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में, जिसके अन्तर्गत डा. भीमराव अम्बेडकर स्मारक के सन्निर्माण और अनुरक्षण को सुकर बनाने और शीघ्र पूरा करने के लिए किसी अधिसूचना, नियम, विनियम या उपविधि में के किसी संशोधन या उपांतरण को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करना भी है, सहायक कार्य करने और इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति में सभी सहयोग और सहायता प्रदान करने का कर्तव्य होगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

13. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

[धारा 2(क) देखिए]

क्षेत्र का विवरण

राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड, यूनिट : इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं0 6 (डाई वर्क्स), जो मुम्बई नगरपलिका की सीमाओं के भीतर वीर सावरकर मार्ग, दादर, मुम्बई - 400 028 में स्थित है, से संबद्ध सूची भू-खंड, जिनका नगर सर्वेक्षण सं0 एफपी 1163, टीपीएस IV, माहिम प्रभाग, मुम्बई है और भू-क्षेत्र माप 48414.83 वर्ग मीटर है, जिसे सर्वसामान्य रूप से इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं0 6 (डाई वर्क्स) के रूप में जाना जाता है । इन संपत्तियों का सीमांकन निम्नलिखित अनुसार है :--

नगर सर्वेक्षण सं0	मापमान	उत्तरी	दक्षिणी	पूर्वी	पश्चिमी
एफपी1163 टीपीएस IV	48414.83 वर्ग मीटर भू-क्षेत्र	सूर्यवंशी क्षत्रीय सभागृह मार्ग	एफपी सं0 1166, 1165. 1164	एस.वी. सावरकर रोड	किनारा/ समुद्र

उद्देश्यों और कारणों का कथन

महाराष्ट्र राज्य में, मुंबई में इंडिया यूनाईटेड मिल्स संख्यां 6 से संबंधित भूमि, जो इस समय रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के आधार पर राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड में निहित है, डा0 भीमराव अंबेडकर के जीवन और उपलब्धियों का स्मरणोत्सव मनाने के लिए एक स्मारक के संनिर्माण के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराने की लंबे समय से मांग की जाती रही है । डा0 अंबेडकर की अंत्येष्टि के स्थल के निकट, उस भूमि की चेत्याभूमि, दादर के समीपस्थ अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार, भारतीय संविधान के जनक को सम्मानित करने के लिए ऐसे एक स्मारक का संनिर्माण करने की इच्छुक है ।

2. ऐसे स्मारक का संनिर्माण से एक महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन पूरा होगा और यह नागरिकों को और विशिष्टितया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्या को जिनकी प्रगति का समर्थन डा0 भीमराव अंबेडकर सदैव करते रहे हैं, प्रेरित और अभिप्रेरित करेगा जिससे समाज के दुर्बल वर्गों की महत्वाकांक्षी चेतनता को जगाकर समाज के सामान्य हित को सुकर बनाया जा सके और डा0 भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष स्मरणोत्सव के स्थान तक उनकी पहुंच बनाई जा सके और यह संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और अनुच्छेद 46 के समादेश के अग्रसरण में होगा ।

3. महाराष्ट्र राज्य ने स्मारक का संनिर्माण करने का वचन दिया है यदि उक्त भूमि उसको उपलब्ध करा दी जाती है ।

4. डा0 भीमराव स्मारक के लिए मुंबई में कतिपय क्षेत्र का अर्जन विधेयक, 2014 कंपनी अधिनियम, 1956 या रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 या रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए डा0 भीमराव अंबेडकर के लिए एक स्मारक के संनिर्माण और प्रबंधन के प्रयोजन के लिए इंडिया यूनाईटेड मिल्स संख्यां 6 की भूमि का अर्जन करने के लिए अधिनियमित किया गया है ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

डा0 कावुरु संबासिवा राव

नई दिल्ली ;
4 फरवरी, 2014

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 7 यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार धारा 3 के अधीन उस सरकार को उस क्षेत्र के संबंध में अधिकार, हक और हित का अंतरण करने और उसे उसमें निहित करने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड को केवल पैंतालीस करोड़ उनहत्तर लाख और बारह हजार रुपए की रकम का नकद संदाय करेगी । यह एक बारगी अनावर्ती व्यय है ।

2. पूर्वोक्त व्यय भारत की संचित निधि में से चुकाया जाएगा ।

3. विधेयक में, यदि अधिनियमित हो जाता है, किसी अन्य आवर्ती या अनावर्ती व्यय के अंतर्वलित होने की संभावना नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 13 का उपखंड (1) केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने के लिए सशक्त करता है जिससे कि विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित किया जा सके ।

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने अपेक्षित हैं ।

3. वे विषय जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे साधारणतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और प्रस्तावित विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

GMGIPMRND—4154LS(CRC)—06-02-2014.